खण्डपीठ क्रमांक-21

09-09-17

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री

आर0एस0त्रिवेदिया उप0

फरियादी जसवंतसिंह एवं आहत माया तथा

हरीशंकर उप0।

फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर द्वारा की गयी है।

🌱 प्रकरण आज राजीनामे की कार्यवाही हेतु

नियत है।

उभयपक्षों द्वारा द.प्र.स. की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण पर भा0द0स0 की धारा 504, 323(दो शीर्ष) एवं 323/34, के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। फरियादी जसवंतसिंह एवं आहत माया तथा हरीशंकर ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी बेतालसिंह, अवधेश एवं हेमन्त को भा0द0स0 की धारा 504, 323(दो शीर्ष) 323/34, के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके

जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण मे जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को

अभिलेखागार भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. क.1

सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीटासीन अधिकार्थ

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0 21 गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

\$2-

ATTRICAL SHEETER STATE OF STAT

ATTACH PARTY PARTY